

मुख्य समाचार

- केन्द्र सरकार ने कहा— बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदली है संताल परगना की डेमोग्राफी, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए एनआरसी लागू करना जरुरी।
- झारखण्ड हाईकोर्ट ने रांची में अवैध रूप से संचालित रुफटॉफ बार और रेस्टोरेंट को तत्काल बंद कराने का दिया आदेश।
- जमीन घोटाला से जुड़े मामले में बड़गाई के दो पूर्व सीओ के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी खत्म, शैलेश कुमार के ठिकानों से मिले 22 लाख रुपये नगद, जमीन और फ्लैट के 11 डीड भी बरामद।
- सुप्रीम कोर्ट में झारखण्ड से जुड़े सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित।
- रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।

केन्द्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़े मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य के संताल परगना इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, जिससे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गयी है। शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए क्षेत्र में एनआरसी लागू करना जरुरी है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

इधर, राज्य में सत्तारूढ़ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश के किसी भी हिस्से में बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार किया है। पार्टी के केन्द्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अदालत में दायर शपथ पत्र में कही गयी बात गलत है।

इस बीच भाजपा ने दोहराया है कि संताल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदली है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि संताल के क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जोर देकर कहा है कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में विमानन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजधानी रांची में अवैध रूप से संचालित रुफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से यह आदेश दिया।

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी
वेबसाईट news on air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR news alerts और फेसबुक पेज
All India Radio news पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR news अंडर स्कोर_ranchi
और
फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा
YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi
पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

जमीन घोटाला से जुड़े मामले में बड़गाई के पूर्व सीओ शैलेश कुमार और मनोज कुमार के ठिकानों पर चल रही भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो—एसीबी की छापेमारी खत्म हो गयी है। छापेमारी में शैलेश कुमार के गिरिडीह और धनबाद स्थित आवास से 22 लाख रुपये नगद बरामद किये गये हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी को जमीन और फ्लैट के 11 डीड भी मिले हैं। वहीं मनोज कुमार ठिकानों से भी करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किये गये हैं।

रामगढ़ जिले में आपकी योजना—आपकी सरकार—आपके द्वार कार्यक्रम के जरिये लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने की पहल की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा मामले की सुनवाई पूरी हो गयी है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश जेके महेश्वरी की खंडपीठ ने सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने के खिलाफ दाखिल एसएलपी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत में इस मामले पर तीन दिनों तक सुनवाई चली।

मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केन्द्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

अखबारों की सुर्खियां

रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केन्द्र सरकार द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है।

हिन्दुस्तान ने केन्द्र सरकार के हवाले से लिखा है— बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदली संताल में डेमोग्राफी।

दैनिक भास्कर के शब्द हैं— केन्द्र ने माना— संथाल में हुई घुसपैठ, आदिवासियों की संख्या 16 प्रतिशत घटी।

प्रभात खबर की सुर्खी है— 45 लाख महिलाओं को मँझ्यां योजना की दूसरी किस्त आज।

दैनिक जागरण लिखता है— एक नाबालिग को जयपुर में तो दूसरी को पटना ले जाकर बेचा।

रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है— झारखंड मुख्यमंत्री मँझ्यां सम्मान योजना के तहत दूसरी किस्त का होगा हस्तांतरण।

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंड्या सम्मान योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि जारी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रसियन एनएसए से मुलाकात की खबर को सुर्खी बनायी है।
